



विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
चीन प्रभाग

सं. ई/551/121201/5-आरटीआई

07 जुलाई, 2015

सेवा मे,

श्री दानिश अब्दुल्ला खान,
291, अशोक नगर,
पिलखुवा, जनपद - हापुड़,
उत्तर प्रदेश -245304

विषय: सूचना का अधिनियम 2005, के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 15.6.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था और इस विभाग को 30.06.2015 प्राप्त हुआ।

२. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:-

(१) भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को चीन विवादित मानता है। जम्मू-कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि मी भारतीय हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान के बीच 02 मार्च, 1963 को हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5180 वर्ग कि मी भारतीय हिस्सा आवेध रूप से चीन को दे दिया है।

(३) पूर्वी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारतीय क्षेत्र के करीब 90,000 वर्ग किमी। पर चीन अपना दावा करता रहा है।

(१-३) चीनी पक्ष को कई अवसरों पर, जिनमें सर्वोच्च स्तर शामिल है, स्पष्ट तौर पर यह बता दिया गया है कि जम्मू व कश्मीर एवम अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न एवम अविभाज्य भाग है।

(५) इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में इस विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(५) इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में इस विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक) पूर्व एशिया (एवं अपील प्रधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

अनिकेत गो. मांडवगणे

(अनिकेत गोविंद मांडवगणे), आईएफएस
अवर-सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव) आरटीआई, (विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

No.A-43020/ 01 /2015-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

3439
29/06/2015

New Delhi, Dated: 22.06.2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of application of Shri Danish Abdulla Khan under the Right to Information Act, 2005.

This Ministry has received an application under the RTI Act, 2005 dated NIL from Shri Danish Abdulla Khan received in this Ministry on 15.06.2015 by transferring from Ministry of Defence.

2. Since the requested information does not fall totally within the jurisdiction of MHA, the application is therefore, being transferred to Ministry of External Affairs, BM-Division and UT-Division of this Ministry under sub-section(3) of Section 6 of RTI Act, 2005 for taking necessary action. In case it does not fall under your jurisdiction, it may please be further transferred/forwarded to the Public Authority under Section 6(3) for RTI Act, 2005 which the subject matter is more closely related, directly, under intimation to the applicant.

Encl: As above.

(V.K. Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

To

Under Secretary (RTI),
Ministry of External Affairs,
2021-A Wing, Jawahar Lal Nehru Bhawan,
Janpath, New Delhi.

Copy forwarded for similar action to :

Director (BM-I), Ministry of Home Affairs, NDCC-II, Jai Singh Road, New Delhi.

Under Secretary (Delhi) Ministry of Home Affairs, North Bloc, New Delhi. (for point no. 7).

Copy for information to:

Shri Danish Abdulla Khan
291, Ashok Nagar,
Pilkhuwa, Distt.- Hapur (UP),
PIN - 245 304.


MS/Minist
MS/Secy (MHA)
29/6
20/12/15

87V
29/6

Dy. No. 4026/2013-KII
17/6/15

**ACCORD PRIORITY
TIME BOUND RTI CASE**

Tele : 011-23019585
ASCON : 35676



RTI Cell, ADG MT (AE)
G-6, D-1 Wing
Sena Bhawan, Gate No-4
IHQ of MoD (Army)
New Delhi -110011

A/810027/RTI/7317 (Tfr)

Dy Secretary & CPIO
Ministry of Home Affairs North Block,
New Delhi-110001


RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005
SHRI DANISH ABDULLA KHAN

1. Please find **enclosed** copy of application dated Nil, in r/o above mentioned applicant, seeking info under RTI Act 05.

2. Since the subject of information on **queries** of ibid RTI applications, pertains to/is more closely related to the functions of your office/office under your jurisdiction, the application, is therefore, transferred to you under the provisions of Sub-section 6 (3) of Right to Information Act 05. You are requested to provide information on **all queries except query No 2** directly to the applicant.

While forwarding info/denial of info to the applicant, address of the First Appellate Authority must be specified/mentioned so that applicant is able to prefer an appeal, if he/she wishes to do so.

In case the subject matter does not pertain to your office, please transfer the same to appropriate office.



(Prashant Saxena)
Lt Col
GSO-1 (RTI)
for DDG MT (RTI)

Enclosures : As above.

Copy to :-


Shri Danish Abdulla Khan
291, Ashok Nagar
Pilkhuwa, Distt - Hapur (UP)
Pin - 245 304

- Your ibid RTI application has been transferred to above address under **Section 6 (3)** of Right to Information Act 05. You are therefore, requested to correspond with them directly with respect to **all queries except query No 2** of your ibid RTI application. **Query No 2** of your application is under process at this HQ. You are also requested to forward signed application directly to above PIO and a copy to this HQ.

MEAs -
Din (BM 2) -
US Delhi -
For Point 7

5449-115/15

5449/15



| | | |
|------------------------------------|----------|-------------|
| सेवा में | 20016 | |
| जनसूचना अधिकारी | 29/04/15 | |
| प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार | 04/05/15 | 29 APR 2015 |
| नई दिल्ली | MEB-1106 | |

विषय - सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का पत्र

महोदय जी,

सक्रिय निवेदन है कि मुझे निम्न बिंदुओं पर सूचना देने का कष्ट करे आपकी अति रुपा होगी -

(1) हमारे देश भारत की कितनी भूमि पर पड़ोसी देशों का कब्जा किया हुआ है और देश की कितनी भूमि को वापस लिया जा सका है कृपया प्रकाश डालें।

(2) पिछले अप्रैल 2014 से अप्रैल 2015 तक पड़ोसी देशों की सेनाओं ने हमारे देश की सीमा को लांघा है या उल्लंघन किया है। कृपया प्रकाश डालें।

(3) पड़ोसी देश चीन हमारे पूर्वीतम राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपने नकशे में दर्शाता है। इस तरह की बातों का विरोध किस प्रकार दर्ज कराया गया। कृपया बताएं।

(4) श्रीलंका हमारे देश के मछुओं को अपनी जल सीमा उल्लंघन के आरोप में पकड़ लेता है आप उन निधन मछुओं के लिए क्या योजना है जिससे की वो मछली मारने दूसरे देश की जल सीमा में न जाए। कृपया प्रकाश डालें।

U185500

App No. M.C. 691040 नं 25
691042 नं 25

10/-

(5) भारत-पाक सीमा पर लॉरे कार वाइ लगाई जा चुकी है। क्या भारत चीन सीमा पर भी इस प्रकार की वाइ लगानी जाने की योजना है ?

(6) जैसे कि समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होती है पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु अस्त्र हैं इससे हमारे मन में झका उठती है कि कहीं भारत अपने सुरक्षा से कोई समझौता तो नहीं कर रही है। कृपया बताइए कि हम अपने देश की सुरक्षा के विषय में चिंतित क्यों न हों या निश्चित रहें कि देश के सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता और देश व बांग्लादेश सुरक्षित टाथों में है ?

(7) राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने लिए क्या-2 कदम उठाए जा रहे हैं कृपया विस्तार बताइए ?

आर्था

नाम - दानिश अहमद ख
पता - 29, अशोक नगर
पिलखुवा जनपद - हापुड
पिन - 245304

सहायक

- ① पोस्टल आर्डर 5 रु 64C 691042
- ② पोस्टल आर्डर 5 रु 64C 691040